



2026: AHC: 48020-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका संख्या - 590/2026

अब्दुल कहर खान

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी गण

याची के अधिवक्ता : बरमेश्वर नाथ तिवारी, पारिजात कुमार तिवारी, वेणु गोपाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., संजय सिंह के लिए आदित्य कुमार

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, कथित रूप से जनहित में, याची द्वारा ग्राम मझपुरवा, गुरसहायगंज, कन्नौज में सोमवार और गुरुवार को लगने वाले मवेशी मेले (पशु मेले) के आयोजन की अनुमति देने से प्रतिपक्षी संख्या 3 और 5 को रोकने के निर्देश देने की मांग हेतु दायर की गई है।
2. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याची/अन्य ग्रामीणों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों की प्रतियां दाखिल करने के अलावा, याचिका/प्रत्यावेदनों में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए और कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. न्यायालय के समक्ष आरोपों की पुष्टि किए बिना, केवल दिए गए प्रत्यावेदनों के आधार पर कथित रूप से जनहित में याचिका दायर करना स्वीकार्य नहीं है।
4. अतः, याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10 मार्च, 2026

आर.के./ए.के. शुक्ला

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।